

लाला मल्लिकार्जुन खन्ना
लाला मल्लिकार्जुन खन्ना



साथ किये गये ऋण अर्जुण की शर्तों के नियमानुसार नहीं चुकाया, जिसकी वजह से उक्त
दक्षिण में लाइकेंचर का मकान स्थित है। अप्रार्थी/ऋणीगण ने उपलब्ध ऋण को, बैंक के
में आम रास्ता, परिवहन में खाली जगह, उत्तर में शिमला पुत्री सीताराम का मकान तथा
जिला टोक में स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 112.77 वर्गज है एवं जिसकी सीमाएं पूर्व
सम्पत्ति/सूच्य. पहा संख्या 33, बाक ग्राम व ग्राम पंचायत देवली तहसील उन्नाव
सिद्धा के एवज में बंधक सम्पत्ति, जय बाई देवी के स्वामित्व व अधिपत्य की एक
कराया गया था व अप्रार्थी/ऋणियों, जमानतदारों द्वारा प्राप्त किये गये उक्त ऋण की
से 6,19,300/रुपये (अक्षर छः लाख उन्नीस हजार तीन सौ रुपये मात्र) का ऋण उपलब्ध
कम्पनी से ऋण खाला संख्या HL11RNLONS00005108374 से दिनांक 21.02.2024
बैंक/कम्पनी के बंधककर्ता ऋणी/सहऋणी/गारंटर है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी बैंक/
प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित किया है कि अप्रार्थीगण,
Securities Interest Act 2002 के तहत प्रेष हुआ जो वर्ज रजिस्टर किया गया।

प्रार्थी बैंक/कम्पनी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 The
Securisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of
Prarthana पत्र अंतर्गत धारा 14 सिक्युरिटी इंटरेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल
असेट्स एंड एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इंटरस्ट एक्ट 2002

दिनांक 04.06.2026

आदेश

असेट्स एंड एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल

ऋणी/सहऋणी/जमानती

(राज.)

2. श्री सौरभ सीमा पुत्र श्री सीताराम सीमा निवासी देवली तहसील देवली जिला टोक

टोक (राज.)

1. श्रीमती जय बाई देवी पत्नी श्री सीताराम सीमा निवासी देवली तहसील देवली जिला

बनाम

...प्रार्थी (प्रतिभूत लेनदार)

जयपुर रोड, कामधेनु सर्कल, टोक जिला टोक (राज.) 304001
विनय, शाखा कार्यालय प्लॉट नंबर 36 ग्राउण्ड फ्लोर रिडी सिटी निवास, कम्पटन कॉलोनी,
इन्स्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर 44, गुरुग्राम, हरियाणा-122003 जारिये अधिकृत इन्स्टीट्यूशनल
इन्स्टीट्यूशनल कार्पोरेशन लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय 6 फ्लोर, प्लॉट नं. 15,

15.05.2026

52/2026


प्रतिष्ठि दिनांक

प्रकरण संख्या

(पीतासीन अधिकारी टीना जर्जी, आई.ए.एस.)

न्यायालय जिला मल्लिकार्जुन खन्ना

लोक सचिव
लोक सचिव



(b) Forward such assets and documents to the secured creditor.

(a) Take possession of such asset and documents relating thereto, and

District Magistrate shall, on such request being made to him-

thereof, and the Chief Metropolitan Magistrate or, as the case may be, the documents relating thereto may be situated of found- to take possession the District Magistrate within jurisdiction any such secured asset or other such secured asset, request, in writing the Chief Metropolitan Magistrate or secured creditor may, for the purpose of taking possession of control of any transferred by the secured creditor under the provisions of this act, the secured creditor or if any of the secured assets is required to be sold are (1) Where the possession of any secured assets is required to be taken by the

creditor in taking possession of secured asset-

14- Chief Metropolitan Magistrate or District Magistrate to assist secured

रूप से प्राप्त है, जो इस प्रकार है।

2002 की धारा 14 में उक्त रहने की गई सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी को दिलाये जाने बाबत Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Securities Interest Act को नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं है। The Securitisation and किया जाने व तामिल के पश्चात धारा 14 के तहत आदेश पारित करने से पूर्व पुनः प्रार्थी दिनांक 04.10.2016 के अर्जुनार प्रार्थी की धारा 13 की उप धारा 2 के तहत नोटिस जारी 6256/2016 फंक्शनर व अन्य बंजाम जिना सचिवरेट उद्योग व अन्य, में पारित निर्णय न्यायिक दृष्टान्त, माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान की रिट याचिका संख्या

करने के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगण द्वारा भुगतान नहीं किया गया।

प्रार्थी बैंक / कम्पनी के द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस जारी प्रभावशील एवं प्रत्युत दस्तावेज का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक / कम्पनी को जारिय पुलिस डेमण्ड सम्भालने के लिये यह 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि क पुनर्भुगतान हेतु रहने बादा Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Securities Interest Act

बैंक/कम्पनी को नहीं सम्भालाया है। प्रार्थी बैंक / कम्पनी द्वारा The Securitisation and बैंक/कम्पनी को नहीं सम्भालाया है। प्रार्थी बैंक / कम्पनी द्वारा भी प्रार्थी

रुकाने में बैंक की गई है। प्रार्थी द्वारा बैंक सम्पत्ति का सम्पूर्ण कब्जा भी प्रार्थी तथा समाचार पत्र में प्रकाशित करवाये जाने के बावजूद प्रार्थी द्वारा प्रार्थी मय ब्याज धारा 13 (2) के अन्तर्गत दिनांक 10.10.2025 को रजिस्टर्ड बैंक नोटिस जारी किया जाने

ब्याज व अन्य खर्च बकाया निकलते है। उक्त प्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत दिनांक 10.10.2025 तक ब्याज शामिल करते हुये तथा इसक आने का पच्चीस पैसे मात्र) दिनांक 10.10.2025 तक ब्याज शामिल करते हुये तथा इसक आने का

कुल बकाया राशि 6,25,535.25/- (अक्षरें छः लाख पच्चीस हजार मात्र सौ पच्चीस रुपये खाली को दिनांक 10.10.2025 को एन.पी.ए. घोषित कर दिया गया व अप्रार्थी/अर्जीगण के

